न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 99/2024

परमेश्वरी देवी उर्फ रामेश्वरी उम्र 52 वर्ष पुत्री रूपाराम पत्नी सत्यनारायण, जाति जाट, साकिन वार्ड न. 2, चक 4 एन. आर. निहालपुरा, तहसील पीलीवंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

प्रार्थीया

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीवंगा, तहसील पीलीवंगा, ज़िला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्त बाबत ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री महेन्द्र सैन —— प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 9/9/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कियह कि प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकित है। यह कि प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एनएसडब्ल्यु के सयुक्त खाता स. 19/25 के प.न. 37/343 (20) के किला न. 1 ता 15, प.न: 38/342 (16) के किला न. 11 ता 25 व पं. न. 38/343 (19) के किला न. 1 ता 10 की 9.9950 हैक, कमाण्ड / अनकमाण्ड में से 232/5997 हक व हिस्सा व इसी चक के सयुक्त खाता सं. 26/34 के प.न.38/343 (19) के किला न. 11 की 0.253 हैक. अनकमाण्ड में से 1/9 हक व हिस्सा एवं इसी चक के खाता स. 29/8 के प.न. 37/341 (14) के किला न: 16 ता 25, प.न, 37/342 (15) के किला न. 1 ता 25, प.न. 38/341(13) के किला न. 16 ता 25, प. न. 38/342 (16) के किला न. 1 ता 10 की 13.790 हैक. में से 862/20685 हक व हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। जिसमें प्रार्थीया का नाम रामेश्वरी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम से रामेश्वरी दर्ज हो गया है। प्रार्थीया का सही नाम परमेश्वरी देवी है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम रमेश्वरी देवी दर्ज है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम परमेश्वरी देवी अकिंत है, जो सही व सत्य है।

यह कि प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में रामेश्वरी दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को केसीसी ऋण लेने, कृषि भूमि में टयुबवैल पर विद्युत कनैक्शन लेने आदि अन्य सुविधाए लेने में काफी परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थीया नाम रामेश्वरी के स्थान पर परमेश्वरी देवी दर्ज करवाने की हकदार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी जो कि भू धारक है तथा तहसीलदार अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस श्कारण आर्थी को हस्तगत प्रकरण में बतौर अप्रार्थी पक्षकार सयोजित किया गया है ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना करवायी जा सके। यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्कं पर अन्दर मियाद, प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एनएसडब्ल्यु के सयुक्त खाता स. 19/25 के प.न. 37/342 (20) के किला न. 1 ता 15, प.न. 38/342 (16) के किला न. 11 ता 25 व प.न. 38/343 (19) के किला न. 1 ता 10 की 9.9950 हैक. कमाण्ड / अनकमाण्ड में से 232/5997 हक व हिस्सा व इसी चक के सयुक्त खाता स. 26/34 के प.न. '38/343 (19) के किला न. 11 की 0.253 हैक. अनकमाण्ड में से 1/9 हक व हिंस्सा एवं इसी चक के सयुक्त खाता स. 29/8 के प.न. 37/341 (14) के किला न. 16 ता 25, प.न. 37/342 (15) के किला न. 1 ता 25, प.न. 38/341 (13) के किला न. 16 ता 25, प.न. 38/342 (16) के किला न. 1 ता 10 की 13.790. हैक.. में से 862/20685 हक व हिस्सा खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रामेश्वरी के स्थान पर परमेश्वरी देवी दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 1815 दिनांक 23.07.2025 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 7 एन.एस.डब्लु के संयुक्त खा.न. 19 में 9.950 हे. में रामेश्वरी पुत्री रुपाराम हिस्सा 232/5997 व इसी चक के खाता संख्या 26 रकबा .253 है. में रामेश्वरी पुत्री रुपाराम हि. 1/9 व इसी चक के खाता सं. 29 में रकबा 13.790 है. में रामेश्वरी पुत्री रुपाराम हि. 862/20685 जाति जाट सा. दौलतावाली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा रामेश्वरी देवी को अपने पिता रुपाराम के जरिये ना. सं. 178 दिनांक 24/03/22 से विरास्तन प्राप्त हुआ है प.ह. द्वारा दैनिक डायरी की घटना बही की दिनांक 19/7/24 नकल पेश की है। जिसमें मोतबिरानों द्वारा बताया गया कि विरास्तन ना.क. दर्ज करते समय सहवन से रामेश्वरी पुत्री रुपाराम दर्ज हो गया प्रार्थी के दस्तावेजो में सही नाम परमेश्वरी देवी पत्नि सत्यनारायण पुत्री रुपाराम दर्ज है। अत प.ह. की रिपोर्ट अनुसार रामेश्वरी पुत्री रुपाराम के स्थान पर परमेश्वरी देवी उर्फ रामेश्वरी दर्ज किया जाना उचित बताया है।

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संयुक्त खाता में रिकार्डिड खातेदार है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर तहसील पीलीबंगा के चक 7 एन.एस.डब्लु के संयुक्त खा.न. 19 व इसी चक के खाता संख्या 26 रकबा .253 है. व इसी चक के खाता सं. 29 में रकबा 13.790 है. में रामेश्वरी पुत्री रुपाराम के स्थान पर परमेश्वरी देवी उर्फ रामेश्वरी पुत्री रूपाराम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 9/9/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा